महत्वपूर्ण एवं खास

नाबालिग को भगा ले जाने वाला युवक गिरफ्तार, भेजा गया रिमांड पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना छाल में अपराध क्रमांक 149/19 धारा 363 भादंवि में रिपोर्टकर्ता द्वारा दर्ज करायी गई गुम 17 वर्षीय बालिका को आरोपी प्रताप अगरिया पिता सुखनंदन उम्र 21 वर्ष के कब्जे से दस्तयाब किया गया है। गुम बालिका के कथन पश्चात प्रकरण में धारा 366,376 आईपीसी 4,6 पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ी जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

सरिया पुलिस की शराब रेड कार्यवाही में बड़ी मात्रा में देशी/विदेशी शराब जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सरिया स्टाफ द्वारा ग्राम कटंगपाली का महेश रात्रे घर में अवैध रूप से बिक्री करने के लिये अंग्रेजी एवं देशी शराब रखे रहने की सूचना पर स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर आरोपी के घर शराब रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी महेश रात्रे पिता अमर लाल रात्रे उम्र 33 वर्ष सा0 कटंगपाली थाना सरिया से अवैध शराब बिक्री करने के संबंध में पूछताछ करने पर शराब बिक्री करना स्वीकार किया। आरोपी के घर से 40 पाव गोवा स्पेशल व्हीसकी एवं 17 पाव देशी प्लेन मदिरा कुल 10 लीटर 260 एमएल कीमती 4220 रूपये का जप्त किया गया है। आरोपी महेश रात्रे के विरूद्ध धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

बायो मेडिकल वेस्ट के उचित प्रबंधन एवं निष्पादन हेतु 19 सितम्बर को एक दिवसीय कार्यशाला

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में बायो मेडिकल वेस्ट के उचित प्रबंधन एवं निष्पादन हेतु आगामी 19 सितम्बर को एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। जिसमें नीजि क्लीनिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जायेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोट द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कल कोडिंग का विशेष रूप से पालन करते हुए कल युक्त लाइनर (पॉलीथीन) एवं डब्बे का उपयोग स्वास्थ्य संस्थानों में होना अनिवार्य है।

चोरी की मोटर पम्प व मशीन पार्टस सहित आरोपी गिरफ्तार

चोरी के चंद घंटों बाद ही चोरी की सम्पत्ति के साथ पकड़े गये 03 युवक व एक बाल अपचारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। जुटमिल पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार अवैध शराब, कबाड, सट्टा-पट्टी पर कार्यवाही किया जा रहा है, साथ ही बीते दिनों मिलावटी खाद्य सामग्री तथा पटाकों के अवैध परिवहन पर भी कार्यवाही की गई है। क्षेत्र में जुटमिल पुलिस के मुखबिरों की सक्रियता एवं टी0आई0 जुटमिल का स्टाफ के साथ बेहतर तालमेल से आज दिनांक 13.09.19 को चोरी के चंद घंटे बाद चोरी की मशरूका के साथ 03 युवकों एवं एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया।

जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी जुटमिल अन्तर्गत स्थित मोहन जुटमिल रायगढ के सिक्यूरिटी गार्ड इंचार्ज ललित ठाकुर द्वारा दिनांक 12-13.09.2019 के दरम्यानी रात करीब 01:00 बजे से 03.00 बजे के बीच कोई अज्ञात व्यक्ति मिल अंदर गोदाम में घुसकर गोदाम अंदर रखे एक मोटर दो एचपी का कीमत करीब 2,00 0 रू. तथा 07 नग एल्युमिनियम का मशीन का पुराना पार्टस कीमत करीब 14,000 -रू को चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज कर चौकी प्रभारी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा द्वारा अपने स्टाफ के साथ मौके पर जाकर मौका मुआयना एवं आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया। साथ ही अपने स्टाफ एवं क्षेत्र के मुखबिरों को माल मुल्जिम के संबंध में जानकारी जुटाने की हिदायत दिया गया, कुछ ही देर पश्चात मुखबिर द्वारा सांगीतराई के युवकों की गतिविधियों पर संदेह बताते हुये चोरी का संदेह जाहिर किया जिस पर स्टाफ द्वारा तीन युवक सुनील सारथी, जय सारथी तथा शशि सारथी को पूछताछ के लिये चौकी लाये जिनसे पूछताछ किये जाने पर अपने साथी बालक के साथ चारों ने बीते रात मोहन जुटमिल से मोटर पम्प व मशीनों के पार्टस चोरी करना स्वीकार किया है, जिनसे चोरी गई मोटर पम्प एवं पार्टस कुल कीमती 16,000 रूपये की मशरूका बरामद किया गया है। आरोपियों के विरूत्र चोरी के संबंध में चौकी जुटमिल (थाना कोतवाली) में दर्ज अप.क्र. 744/19 धारा 457,380 भादंवि के मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

एडिशनल एसपी ट्राफिक ने बिना हेल्मेट वाहन चलाते पाये गये पुलिसकर्मियों के वाहनों को किया जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के पुलिसकर्मियों को संशोधित ट्राफिक नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश विगत दिनों जारी किया गया है। जिले के पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें इसके लिये आज से पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर ट्राफिक ए.एस.पी. आर.के. मिंज एवं ट्राफिक थाने के अधिकारियों द्वारा शहर के पण्डरीपानी, गांधी प्रतिमा तथा गौशाला के पास बिना हेल्मेट के दुपहिया चलाते पाये गये पुलिसकर्मियों के वाहनो के जप्ती की कार्यवाही की गई है। आज शाम तक करीब 30 पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी के वाहनों को जप्त किया गया, जप्त वाहनों को थाना यातायात परिसर में रखवाकर कर्मचारियों को पैदल जाने को कहा गया। देर शाम अपनी वाहन थाना लेने आए कर्मचारियों को एडिशनल एसपी ट्रैफिक मिंज द्वारा सख्त हिदायत दिया गया है कि यदि ऐसा करते दोबारा पाए जाते हैं तो एम.व्ही. एक्ट के अलावा विभागीय दंडात्मक कार्यवाही भी की जावेगी। खास बात यह रही कि सिविल कपड़ो में बिना हेल्मेट वाहन चलाते पाये गये कुछ पुलिसकर्मी को भी ए.एस.पी. मिंज ने पहचान कर उनके वाहनों की जप्त किये।

छ.ग.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत रिक्त संविदा पदों के लिए 23 सितम्बर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत विभिन्न पदों के लिए संविदा नियुक्ति हेतु गत दिवस आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर जिला पंचायत के सूचना पटल पर प्रकाशित कर दी गई है एवं जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in पर अपलोड किया गया है। उक्त सूची के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो वे 23 सितम्बर 2019 शाम 5.30 बजे तक जिला पंचायत रायगढ़ कार्यालय में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नही किया जाएगा।

कुआं में छिपाकर रखी गई 10 बोरी प्रतिबंधित कप सिरप

» छापेमारी कार्यवाही में 1400 नग कप सिरप की बॉटल की जप्ती, सरिया पुलिस की बड़ी कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। सीमावर्ती राज्य ओडिसा से होकर जिले में अवैध मादक पदार्थों, अवैध कच्ची महुआ शराब की परिवहन को पूर्णत अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देशित किया गया है।

सरिया थाना क्षेत्र का भी बहुत बड़ा भाग ओडिसा राज्य की सीमा से लगता है, इसलिये थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक आशीष वासनिक द्वारा विशेष सतर्कता बरतने के साथ स्टाफ और मुखबिरों को सक्रिय किया गया है जिससे विगत दिनों में अवैध गांजा परिवहन तथा कबाड से भरी वाहन पर सरिया पुलिस द्वारा कार्यवाही किया गया था ।

दिनांक 12.09.19 को भी टी0आई0 सरिया के विश्वसनीय मुखबिर सूचना की सूचना पर सरिया के वार्ड क्रमांक 11 में कुआं में छिपाकर रखी गई 10 बोरी ESKuf Cough Syrup जप्त किया गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 12/09/19 को सरिया प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सरिया वार्ड नं0 11 सून्दर लाल अग्रवाल के खाली प्लांट के अंदर कचडा मिट्टी से पटा हुआ कुंआ अंदर नशीली दवा छिपाकर रखा हुआ जिस पर टी0आई0 सरिया द्वारा स्टाफ के साथ मौके पर जाकर छापेमारी कार्यवाही किया गया, मौके पर कुआ अंदर से 10 बोरी में भरी 1400 नग कुल 140 लीटर कीमती 161000 रूपये का जप्त किया गया है, सम्पत्ति स्वामी की पतासाजी की जा रही है। घटना के संबंध में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सरिया में अप.क्र. 132/19 धारा 21,22 एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई है।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए

गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यर्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक दृष्टि के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480